

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

पू.क.

श्री

आवेदन

विरुद्ध

श्री

अनोवदक

आवेदन अंतर्गत धारा 54 म.प्र. वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित वक्फ अधिनियम 2013 की धारा 54 के अंतर्गत

यह कि स्थान जिला में वक्फ

स्थित है। जिसका वक्फ बोर्ड में पंजीयन क्रमांक दिनांक से दर्ज है / अथवा यह वक्फ म.प्र.

राज पत्र दिनांक में क्रमांक पर प्रकाशित भी है। (नकल संलग्न परिशिष्ट 1) इस वक्फ की

सम्पत्ति / भवन / भूमि सर्वे / प्लॉट क्रमांक रकबा वर्ग फुट / बीघा / हैक्टियर

..... दर्ज अभिलेख है (नकल संलग्न परिशिष्ट 2)

अथवा उक्त सम्पत्ति राजस्व / पंचायत / नगरीय अभिलेख में वर्ष में नाम से दर्ज होकर

रकबा..... दर्ज है (नकल संलग्न परिशिष्ट 3)

इस वक्फ सम्पत्ति पर अनावेदक श्री वल्द..... जिला

निवासी

द्वारा बनाकर / लगाकर रकबा पर अतिक्रमण दिनांक से किया गया है।

मौके का नजरी नक्शा एवं पंचनामा संलग्न प्रस्तुत है। (प्रदर्श पी. 4) अतिक्रमण की चतुरसीमा निम्नानुसार है:-

★ पूर्व दिशा में ★ पश्चिम दिशा में

★ उत्तर दिशा में ★ दक्षिण दिशा में

इस अतिक्रमण के कारण वक्फ को नुकसान हो रहा है

अतः अनुरोध है कि प्रश्नधीन वक्फ सम्पत्ति पर अनावेदक के अतिक्रमण धारा 54 वक्फ एक्ट 1995 के तहत बेदखल कर सम्पत्ति का कब्जा मुतवल्ली / कमेटी को दिलाये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखे उक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर आवेदक

दिनांक :

श्री / श्रीमती

पिता / पतिश्री

पता

.....